भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1925
15 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारिता क्षेत्र की क्षमता का उपयोग किया जाना

1925. श्री नारण भाई जे. राठवा:
क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की देश में सहकारिता क्षेत्र की क्षमता के प्रभावी उपयोग के लिये एक स्पष्ट कार्य-ढांचा विकसित करने की क्या योजना है; और
(ख) क्या सरकार के पास डेयरी जैसे क्षेत्र में सहकारी प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिये गुजरात राज्य हेतु कोई प्रस्ताव या योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख) देश में एक समृद्ध सहकारी विरासत और एक मजबूत सहकारी क्षेत्र है जो पहले से ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दे रहा है और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, उत्पादकता को बढ़ा रहा है। हालाँकि, सहकारी आंदोलन को नए आयाम देने और गुजरात राज्य सहित देश में विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत करने के लिए, नीति और अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से, सरकार ने एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में गहन करना और सहकारिता आधारित ऐसा अर्थव्यवस्था मॉडल विकसित करना है जहां प्रत्येक सदस्य उत्तरदायित्व की भावना के साथ काम करे। मंत्रालय को भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के तहत राजपत्र अधिसूचना दिनांक 06.07.2021 में अधिसूचित किया गया निम्नलिखित अधिदेश आवंटित किया गया है:

1. सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारी गतिविधियों का समन्वय
2. "सहकारिता से समृद्धि की ओर" परिकल्पना को साकार करना,

3. देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाना,

4. देश के विकास के लिए, अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना,

5. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण,

6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले,

7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,

8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न रही लक्ष्यों वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन,

9. सहकारिता विभागों और सहकारिता संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित) ।

*****